भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2337
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आरएसईटीआई योजना

2337. श्री अरुण नेहरू:

क्या **ग्रामीण विकास**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या बैंकों द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन करने वाले (बीपीएल) युवाओं को प्रशिक्षित करने की कोई जानकारी नहीं है, यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;
(ख) संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में उद्योग के अनुसार प्रशिक्षण आवश्यकताओं को अद्यतन करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) योजना के अंतर्गत बीपीएल युवाओं को प्रदत्त निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख):ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन करने वाले (बीपीएल) युवाओं सहित ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पूरी तरह से संसाधनों से युक्त हैं। आरएसईटीआई स्थानीय जरूरतों और अभ्यर्थियों की रुचियों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना विकसित करते हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा 64 अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं और अभ्यर्थी अपनी पसंदीदा कार्यक्रम चुन सकते हैं।

(ग):आरएसईटीआई योजना के अंतर्गत श्रेणी -वार निधियां जारी नहीं की जाती है , तथापि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक (30.11.2024 तक) बीपीएल युवाओं सहित ग्रामीण गरीब युवाओं के प्रशिक्षण लागत के लिए जारी की गई राज्य /संघ राज्य क्षेत्र -वार निधियों का ब्यौरा **अनुबंध**में दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2337 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक, नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार आरएसईटीआई के तहत प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति के लिए जारी राज्यवार निधियां:

(*रु. लाख में*)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल जारी निधियां (वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	22.21
2	आंध्र प्रदेश	4455.87
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00
4	असम	3050.35
5	बिहार	6032.15
6	छत्तीसगढ़	4674.07
7	दादरा एवं नगर हवेली	45.24
8	गुजरात	4790.70
9	हरियाणा	1821.26
10	हिमाचल प्रदेश	210.23
11	जम्मू एवं कश्मीर	686.15
12	झारखंड	5019.92
13	कर्नाटक	7624.34
14	केरल	1808.72
15	लक्षद्वीप	0.00
16	मध्य प्रदेश	10694.94
17	महाराष्ट्र	8236.90
18	मणिपुर	128.05
19	मेघालय	408.85
20	मिजोरम	125.94
21	नागालैंड	124.59
22	ओडिशा	6872.02
23	पुदुचेरी	24.39
24	पंजाब	2505.78
25	राजस्थान	4245.43
26	सिक्किम	9.02
27	तमिलनाडु	5962.05
28	तेलंगाना	2478.94
29	त्रिपुरा	389.71
30	उत्तर प्रदेश	4846.20
31	उत्तराखंड	802.56
32	पश्चिम बंगाल	1542.51
	कुल	**89639.09**

*****